पत्रांकः–9 / विविध–14–24 / 2014सा0प्र0.........11269........./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक..5.8.15

विषयः–खिलाड़ी कर्मियों को खेल अभ्यास हेतु कार्यालय अवधि समाप्ति के 2 (दो) घंटे पूर्व छुट्टी देने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार की सेवाओं में खिलाड़ी कोटा के अंतर्गत नियुक्त समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों के संबंध में ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि उन्हें खेलने के लिए कार्यालय द्वारा पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार की सेवाओं में खिलाड़ियों की नियुक्ति उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है।

2. अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि खिलाड़ी कोटा से नियुक्त समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों को खेल अभ्यास के लिए कार्यालय अवधि समाप्ति के 2 (दो) घंटे पूर्व छुट्टी दी जाय।

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।